PWD UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गैरसैंण

Phone N0/ Fax No: 01363.278533 **Mail: eecdgairsain@rediffmail.com**

पत्रांक 454 / 1LA दिनांक 19/4/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर , फॉरेस्ट कॉलोनी , उत्तराखण्ड
देहरादून ।

विषय :– दिवालीखाल– भराडीसैंण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन का कार्य मोटर मार्ग में लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– **EDS dated 17/04/2018 on Proposal no FP/UK/Road/21292/2016 के कम मे।**

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा लगाई गयी निम्न आपत्तियों का निराकरण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र	आपत्ति	निराकरण किया गया या नही
1.	In the reply point NO. -4 CF may provide the justification for "Single lane road is already exist and the said case is proposed for making it double lane road. The proposal involve 263 tree felling which comes 206 trees/ha, i.e. very high out of which 190 trees are oak is ecologically important trees for the hill area ecosystem" instead of providing benefits of road.	Uploaded in additional file name as justification.

संलग्न - Justification 1 No.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)।

Justification

1- **मोटर मार्ग का नाम** - दिवालीखाल भराडीसैण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन का कार्य। लम्बाई– 4.00 किमी0

2- **मार्ग की वर्तमान स्थिति**– उक्त मोटर मार्ग 4.00 किमी0 सिंगल लेन मे निर्मित है।

3- **मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन हेतु महत्व**– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में भराडीसैण में उत्तराखण्ड राज्य के विधानसभा भवन का निर्माण कार्य प्रगति में है, तथा भविष्य में गैरसैण (भराडीसैंण) को राज्य की राजधानी बनाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में विधानसभा भवन भराडीसैण तक जाने हेतु दिवालीखाल भराडीसैण मोटर मार्ग एक मात्र मार्ग है। पूर्व में उक्त मोटर मार्ग एक ग्रामीण मार्ग था, जिसमें वर्तमान की अपेक्षा यातायात घनत्व बहुत कम था। प्रतिवर्ष विधानसभा भवन भराडीसैण में विधानसभा सत्र आयोजित होने के कारण इस मोटर मार्ग में विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट महानुभावों का आवागमन बना रहता है, उक्त मोटर मार्ग के सिंगल लेन होने के कारण मोटर मार्ग से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों को विधानसभा सत्र मे ट्रैफिक जाम की स्थिति से गुजरना पडता है, तथा मार्ग के सिंगल लेन होने से वाहनों को मार्ग क्रास करने मे भी परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए शासनादेश संख्या–1173/III (3)/15–103(एन0एच0)/2006 देहरादूनः दिनांक 07 नवम्बर 2015 द्वारा मार्ग को ग्रामीण मार्ग से राज्य मोटर मार्ग संख्या 55 में उच्चीकरण किया गया है। भविष्य में उक्त मोटर मार्ग में अत्यधिक यातायात घनत्व की प्रबल सम्भावना है, जिसके क्रम में उक्त मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन हेतु

शासनादेश संख्या– 6072 / III (2) / 15–41(प्रा0आ0) / 2015 देहरादून: दिनांक 06 नवम्बर 2015 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके अन्तर्गत उक्त मोटर मार्ग का वन भुमि प्रस्ताव गठित कर वन विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

4 – उक्त मोटर मार्ग को भू–वैज्ञनिक द्वारा भी संस्तुति प्रदान की गयी है।

5 – उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 23 / 11 / 2016 को किया गया, तथा उनके द्वारा भी उक्त मोटर मार्ग को सहमति प्रदान की गयी है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)।